न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 06/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
अमृतलाल पुत्र नागौरी जाति नट, निवासी भटाना तहसील रेवदर जिला सिरोही।		राजस्थान राज्य जरिये उपतहसीलदार मंडार

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री चंदनसिंह डाबी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

–: निर्णय :–

दिनांकः– 06.05.2019

अपीलान्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजस्व अपील संख्या 05/2017 में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.05.2017 एवं न्यायालय उप तहसीलदार मंडार द्वारा प्रकरण संख्या 28/2017 में पारित निर्णय दिनांक 22.03.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि उप तहसीलदार मंडार ने अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर ग्राम भटाना के खसरा नंबर 1104/2355 रकबा 0.05 बीघा भूमि पर अमृतलाल पुत्र नागौरी कौम नट द्वारा संवत 2072 फसल रबी में अनाधिकृत कब्जा बाडा करने के सम्बन्ध में नोटिस जारी किया तथा दिनांक 22.03.2017 को तारीख पेशी नियत की गई। इसके पश्चात दिनांक 22.03.2017 को आदेश पारित करते हुए धारा 91 (2) के तहत पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए अपीलाण्ट पर जुर्माना आरोपित किया तथा साथ ही तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश विरूद्ध प्रथम अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय सिरोही के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय द्वारा खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील हाजा न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बाबत किसी प्रकार की जांच नही की गई कि अपीलाण्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में परिलक्षित होता है अथवा नही ? तथा न ही इस प्रकार के कोई साक्ष्य सबूत ही पत्रावली पर उपलब्ध थे। इस सम्बन्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

में न तो पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये गये किन्तु अपीलांट को जिरह का कोई अवसर प्रदान किये बिना पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट को तीन माह के सिविल कारावास का दण्ड दिया गया है, जो विधि विरूद्ध है। पश्चातवर्ती अतिक्रमी उसे माना जाता है, जिसके विरूद्ध पूर्व में अतिक्रमण करने बाबत प्रकरण चला हो। अपीलाण्ट के विरूद्ध पूर्व में कोई प्रकरण नही चला था, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौके पर कब्जा छोडने का निवेदन करते हुए शपथ पेश करने का निवेदन किया। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर ध्यान न देते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। इस संबध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित विभिन्न न्याय दृष्टान्तो में यह प्रतिपादित किया कि ''जब अपीलार्थीगण द्वारा हल्का पटवारी द्वारा रिर्पोट किये गये अतिक्रमित स्थल से कब्जा हटाने बाबत रिर्पोट पेश कर दी जाए अथवा इस सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जावे तो अपीलार्थीगण के विरूद्ध पारित सजा के दण्डादेश को अपास्त किया जाना लाजमी है'' किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये जैर अपील आदेश पारित किया है। जो अपास्त योग्य है। अतः प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपील स्वीकार करावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश को अपास्त करावे। वकील अपीलांट द्वारा अपने कथनो के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये– (1)आर.आर.डी. 1993 अम्बालाल बनाम सरकार व अन्य (2) आर. आर.डी 1996 रामनारायण बनाम सरकार (3) आर.आर.डी 2002 पीताराम बनाम सरकार।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम भटाना के खसरा नंबर 1104/2355 रकबा 0.05 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अनाधिकृत अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए तीन माह के सिविल कारावास एवं नियमानुसार जुर्माना आरोपित कर दंडित किया गया है। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम भटाना के खसरा नंबर 1104/2355 रकबा 0.05 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। पटवारी हल्का भटाना द्वारा उपतहसीलदार मंडार के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अपीलांट द्वारा उपरोक्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर बाडा बनाकर अतिक्रमण किया है, उक्त रिर्पोट के आधार पर तहसीलदार जैतारण द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 22.03.2017 की तारीख पेशी नियत की।

उक्त आदेश की पालना में जो नोटिस जारी किया गया, उसके पश्चात आदेश दिनांक 22.03.2017 द्वारा जुर्माना आरोपित किया तथा आदेश बेदखली पारित किये, साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने पर तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली के समक्ष अपील दायर करवाई, जिसमें मातहत अदालत द्वारा अपीलाण्ट की अपील खारिज करते हुए परीक्षण न्यायालय का निर्णय बहाल रखा। उक्त दोनों ही निर्णयों से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। इस सम्बन्ध में परीक्षण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है उपतहसीलदार मंडार की पत्रावली पर अपीलांट के स्वंय के हस्ताक्षर मौजूद है जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट को परीक्षण न्यायालय में 91 से सम्बधित कार्यवाही का पूर्णतया ज्ञान था। इसके अतिरिक्त परीक्षण न्यायालय द्वारा जैर अपील वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट्स का पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी विधिवत माना है। हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवाद सत्य है कि वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि है। जिस पर अपीलांट द्वारा अनाधिकृत कब्जा किया गया है। किन्तु अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी के संबध में शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर से वर्ष 2017 से कब्जा हटा लिया है एवं उक्त खसरे पर पुन कब्जा करने का प्रयास नहीं करूंगा। इस संबध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय आर.आर.डी 2002 पीताराम बनाम सरकार के अनुसार "Revision against order of R.A.A.-Held, order of civil imprisonment against petitioner is pardobed provided he should submit affidavit to the concerned Tehsildar that he has left possession of the disputed land and deposited the imposed penalty- Apart from this additional penalty of Rs. 1000/- should be deposited otherwise order of subordinate court dt. 29.02.2001 shall prvail if condition is not fulfilled" उक्त न्यायिक दृष्टान्त में यह प्रतिपादित किया कि "जब अपीलार्थीगण द्वारा हल्का पटवारी द्वारा रिर्पोट किये गये अतिक्रमित स्थल से कब्जा हटाने बाबत रिर्पोट पेश कर दी जाए अथवा इस सम्बन्ध में अपीलांट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जावे तो अपीलार्थीगण के विरूद्ध पारित सजा के दण्डादेश को अपास्त किया जाना लाजमी है" उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है। अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दौराने बहस वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा हटाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करने का निवेदन किया है। अपीलांट के कथनो से उक्त न्यायिक दृष्टान्त पूर्णतया प्रभावित होते है। जिससे अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार किया जाना तथा अधीनस्थ न्यायालयो द्वारा अपीलांट को दी गई सिविल कारावास की सजा के आदेश को इस शर्त पर निरस्त किया जाना उचित समझते है कि प्रार्थी इस आदेश के पारित होने की दिनांक से एक माह की अवधि में संबंधित उपतहसीलदार मंडार के समक्ष पुनः इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करे, कि उसके द्वारा वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा हटा लिया गया है और उसके द्वारा भविष्य में किसी भी राजकीय भूमि पर पुनः अतिक्रमण नही किया जावेगा तथा उपतहसीलदार मंडार उक्त शपथ पत्र में अंकित तथ्यों का सत्यापन करेगा। यदि प्रार्थी ऐसा करने में कोई चूक करता है तो अधीनस्थ न्यायालयो द्वारा पारित सिविल कारावास की सजा के आदेश यथावत रहेंगे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर राजस्व अपील संख्या 05/2017 में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.05.2017 एवं न्यायालय उप तहसीलदार मंडार द्वारा प्रकरण संख्या 28/2017 में पारित निर्णय दिनांक 22.03.2017 में अपीलांट को दी गई 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा को उपरोक्त शर्त की पालना में निरस्त किया जाता है तथा अपीलांट पर लगाई गई शास्ति एवं बेदखली के आदेश को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.05.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कम्प-सिरोही